श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 15 फरवरी, 1985

सं. ओ. वि./अम्बाला/192-84/5598.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. के० के० कम्पनी, 212 इन्डस्ट्रीयल एरिया, पंचकुला (अम्बाला), के श्रमिक श्री राकेश राय तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44) 84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री राकेश राय की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./अम्बाला/94-84/5604.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. मैनेजिंग डायरेक्टर, हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम, एस. सी. ओ. 813-14 सैक्टर-22ए, चण्डीगढ़ (2) जिला प्रबन्धक, हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम, काशी नगर, अम्बाला शहर, के श्रमिक श्री लाजपत राय तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44) 84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री लाजपत राय की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि./अम्बाला/221-84/5611.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. इंजनियर एण्ड कन्सलटैन्टस, 200 एच. एम. टी. इन्सीलरी यूनिट, पंचकुला के श्रमिक श्री जागर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44) 84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री जागर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./अम्बाला/7-84/5617.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० निदेशक हैल्थ सर्विसस हरियाणा चण्डीगढ़। (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अम्बाला शहर, के श्रमिक श्रीमति सुनीता तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)-84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्रीमती सुनीता की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ?

सं. ओ. वि./अम्बाला/30-84/5699.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ (2) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, कैथल (हरियाणा) के श्रमिक श्री बलबीर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बंधित मामला है :—

क्या श्री बलबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि/अम्बाला/231-84/5706.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० मैनेजिंग डायरेक्टर, हरियाणा स्टेट फैडरेशन आफ कन्जूमरर्ज, को० ओ० होल-सेल स्टोरज, लि०, एस० सी० ओ० 1014-15, सैक्टर 22 बी, चण्डीगढ़, के श्रमिक श्री गियान सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियो का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3 (44) 84-3-श्रम दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है।

क्या श्री गियान सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नही, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 18 फरवरी, 1985

सं० ओ० वि०एफ०डी/188-84/6214.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज इण्डिया फोर्ज एण्ड ड्राप्ट स्टेम्पिंग लि०, 13/3, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री सदा नन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-2-श्रम-68/15154 दिनांक 10 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245 दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सम्बन्धित अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सदा नन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नही, तो वह किस राहत का हकदार है ?